तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल
21/7/24	अधिनायक अधिकारी द्वारा पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-8-24 को पेश हो। जिला कलेक्टर टोंक
7/8/24	अधिनायक अधिकारी द्वारा R.O. द्वारा अन्य रोजनामचे में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-8-24 को पेश हो।
28/8/24	अधिनायक अधिकारी द्वारा R.O. द्वारा अन्य रोजनामचे में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4-9-24 को पेश हो।
4/9/24	अधिनायक अधिकारी द्वारा अधिनायक अपीलार्थी के नायब-मुख्तार व संबंधित-अधिवक्ता पेश व सुने हुए अन्तिम बहस दिया जाता है। पत्रावली नस्ति पेश न करने नायब-मुख्तार व संबंधित-अधिवक्ता को 11-9-24 को पेश हो। जिला कलेक्टर टोंक
11/9/24	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिनायक के दिनांक 12-7-21 को सूचना देने के बाद अपीलार्थी की मृत्यु हो गई है, परन्तु अपीलार्थी के अधिनायक द्वारा अधिनायन तय हुआ अधिनायन की पश्चात बनाने की कार्यवाही नहीं की गई है। जिला कलेक्टर टोंक

P.T.O

मुकदमा नं० 3/2018

उनवान सईदुल्ला V/s कलेक्टर

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी अकेला ही था उसकी मृत्यु के बाद Right to Sue शेष नहीं रहता है। अतः प्रार्थना अपील 22 नियम नियम 3 CPC प्रावधानों के अनुसार 1 52 के प्रावधानों के अनुसार अपास्त (Abate) किया जाता है। प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पक्षकारों निर्णय शुल्क अदा करें तथा नकल दाखिल दफ्तर हो।	

जिला कलेक्टर
टोंक